

## Lecture 12:

## **Prof Nirmal Kr Singh**

Associate Professor

Deptt of LSW

S.N.S.R.K.S College, Saharsa

Email: [nirmalsingh245@gmail.com](mailto:nirmalsingh245@gmail.com)

## **बाल अपराध:**

अपराध की तरह बाल अपराध भी एक गंभीर समस्या है। जिस तरह अपराध सार्वभौमिक है उसी तरह बाल अपराध भी सार्वभौमिक है। यह एक ऐसी समस्या है जो मूलतः पारिवारिक एवं सामुदायिक विघटन की देन है। बाल अपराध सामान्य लक्षणों की तरह अपराध की ही भाँति है। यह भी समाज विरोधी कार्य और इसमें भी कानूनों का उल्लंघन होता है।

साधारणतया बालक का अपराध बाल अपराध कहा जाता है। अर्थात् एक निश्चित आयु से कम आयु के बच्चों का अपराधपूर्ण कार्य बाल अपराध समझा जाता है। किन्तु प्रश्न उठता है कि बालक किसे कहा जाए? इसके लिए कम या अधिकतम आयु सीमा क्या है? इस संबंध में यह लिखना अनुचित नहीं प्रतीत होता है कि विभिन्न राज्यों या राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न आयु के बच्चे को बाल अपराध माना गया है। उदाहरण स्वरूप भारतवर्ष में किसी बच्चे को बाल अपराधी घोषित करने की निम्नतम उम्र 14 वर्ष तथा अधिकतम आयु 18 वर्ष है। इसी तरह मिश्र में यह आयु क्रमशः 7 वर्ष से 15 वर्ष, ब्रिटेन में 11 से 16 वर्ष तथा ईरान में 11 से 18 वर्ष है। अतः बाल अपराधियों के निम्नतम तथा अधिकतम आयु के संबंध में कोई सार्वभौमिक धारणा प्रचालित नहीं है। इस वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि एक निश्चित आयु तक के बालको के अपराध को बाल अपराध कहा जाता है।

## **Chapters:**

1. **बाल अपराध की परिभाषा**
2. **बाल अपराधी के लक्षण**
3. **बाल अपराधी की विशेषताएं**
4. **बाल अपराध के प्रकार**

## **1. बाल अपराध की परिभाषा:**

1. **सिरिल बर्ट के अनुसार** - “तकनीकी दृष्टि से एक बालक को उस समय अपराधी माना जाता है जब उसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियाँ इतनी गम्भीर हो जाएं कि उसके विरुद्ध शासन वैधानिक कार्यवाही करें या कार्यवाही कराना आवश्यक हो जाए।”
2. **मार्टिन न्यूमेयर के अनुसार-** “एक बालक अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचार कानून का उल्लंघन है।”
3. **एच. एच. लाऊ के अनुसार-** “बाल अपराध किसी ऐसे बालक द्वारा किया गया विधि विरोधी कार्य है जिसकी अवस्था कानून में बाल अवस्था की सीमा में रखी गयी है और जिसके लिए कानूनी कार्यवाही तथा दंड व्यवस्था से भिन्न है।”
4. **सोल रूविन** ने बाल अपराध के कानूनी अर्थ को एक पंक्ति में व्यक्त करते हुए लिखा है कि:- “कानून जिस कार्य को बाल अपराध मानता है वही बाल अपराध है।”
5. **मावरर** ने बाल अपराध की परिभाषा इस प्रकार दी है- “वह व्यक्ति जो जान बूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए उस समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है जिससे उसका संबंध है।”

## **2, बाल अपराधी के लक्षण:**

बाल अपराधियों के कुछ सामान्य लक्षण -

1. बाल अपराधी की शारीरिक संरचना सामान्य गठीला शरीर शक्तिशाली तथा निडर होते हैं।
2. वे स्वभाव से बेचैन उग्र बहिर्मुखी तथा विघटनकारी होते हैं।
3. इनका व्यक्तित्व अनैतिक अत्यधिक संवेगशील, स्वार्थी तथा आत्मकेन्द्रित होते हैं।
4. अदूरदर्शी तथा अपराध के परिणाम से अनभिज्ञ रहते हैं।
5. बाल अपराधी प्रायः सामान्य बालकों की अपेक्षा मनोस्नायु विकृति से पीड़ित होते हैं।

6. बाल अपराधियों में इदम् (id) अहम् (ego) तथा पराहम् (super ego) में समुचित संतुलन का अभाव होता है।
7. ये प्रायः विषादग्रस्त निराश हताश और गुमसुम दिखाई देते हैं।
8. ये शासन सत्ता के विरोधी नियम कानून का उल्लंघन करने वाले तथा अविश्वासी प्रवृत्ति के होते हैं।
9. ये अपनी किसी समस्या को सुलझाने के लिए सुनियोजित रूप से किसी कार्ययोजना का पूर्व निर्धारण नहीं करते हैं।

### 3. बाल अपराधी की विशेषताएं

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयार्क शहर के बाल न्यायालय अधिनियम में बाल अपराध की व्यावहारिक विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया गया है -

1. बाल अपराधी आदतन उद्दण्ड तथा आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले होते हैं
2. यह प्रायः राजकीय नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन करते हैं।
3. इनकी संगीत आवारा, अनैतिक एवं चरित्रहीन व्यक्तियों के साथ होती है।
4. इनका व्यवहार अनैतिक एवं अशोभनीय है।
5. यह बिना आज्ञा के निरुद्देश्य देर रात तक घर से बाहर घूमते रहते हैं।
6. कानूनी रूप से निषिद्ध स्थानों पर धूमने अवश्य जाते हैं।
7. ऐसे बालक स्टेशनों मेलों एवं तीर्थस्थानों पर भीख मांगते हुए प्रायः दिखाई पड़ते हैं।
8. ये तस्करी आदि गैर कानूनी धंधों में लिप्त रहते हैं।
9. इनमें स्कूल एवं घर से भागने की आदत होती है।
10. ऐसे बालक समाज में सम्मानित पाने के बड़े उत्सुक रहते हैं। समाज में अपना स्थान पाने के लिए नीच से नीच कार्य करने से नहीं चूकते।

### 1. बाल अपराध के प्रकार

हावर्ड बेकर (1966: 226-38) ने बाल अपराध के चार प्रकारों का उल्लेख किया है -

1. **व्यक्तिगत बाल अपराध** - यह उस अपराध की ओर संकेत करता है जिसमें अपराध कार्य करने में केवल एक बालक ही लिप्त होता है और उसका कारण उस बाल अपराधी के अन्तर होता है। इस अपराधिक व्यवहार की

मनोचिकित्सकों ने अधिकांश व्याख्याएँ दी हैं। उनका तर्क है कि बाल अपराध मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण होता है जो मुख्य रूप से दोषपूर्ण अनुचित रोगात्मक परिवारिक अन्तः क्रिया के संरूपों से उत्पन्न होती हैं।

2. **समूह द्वारा समर्थित बाल अपराध** - इस प्रकार के अपराध दूसरों की संगति में किये जाते हैं और इसका कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व में स्थित नहीं होता और न ही अपराधी के परिवार में, अपितु व्यक्ति और पड़ोस की संस्कृति में होता है।
3. **संगठित बाल के अपराध** - यह बाल अपराध उन बाल अपराधों का उल्लेख करता है जो औपचारिक रूप से संगठित गुटों को विकसित करके किये जाते हैं। इन बाल अपराधों का विश्लेषण अमरीका में 1950 के दशक में किया गया और अपराधी उप संस्कृति की अवधारणा को विकसित किया गया। यह अवधारणा उन मूल्यों और प्रतिमानों का उल्लेख करती है जो कि गुट के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं अपराध करने को प्रोत्साहित करते हैं ऐसे कार्यों के आधार पर प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं और उन लोगों से विशिष्ट संबंधों का उल्लेख करते हैं जो उन समूहीकरण के बाहर होते हैं जो समूह के प्रतिमानों से प्रभावित होते हैं कोहिन वह पहला व्यक्ति था जिसने इस प्रकार के अपराध का उल्लेख किया |
4. **परिस्थितिवश बाल अपराध** - परिस्थितिवश अपराध एक भिन्न परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है यहां यह मान्यता है कि अपराध की जड़ें गहरी नहीं होती और अपराध के लिए प्रेरणाएँ और उसे नियंत्रित करने के साधन बहुधा अपेक्षाकृत सरल होते हैं। एक युवा व्यक्ति अपराधिक कार्य अपराध के प्रति गहरी वचनबद्धता के बिना करता है क्योंकि उसमें मनोवेग नियंत्रण कम विकसित होता है और या पारिवारिक नियंत्रण कम सुदृढ होते हैं और क्योंकि पकड़ें जाने पर भी उसके पास खाने के लिए अपेक्षाकृत बहुत कम होता है।

-----\*\*\*\*\*The End\*\*\*\*\*-----